

संघित, प्रविधिक शिक्षा परिषद

द्वार प्रदेश सभ्यता

संख्या: प्रविप/प्रवि/प्र/साभ/द्वारा/2021/0337

सभ्यता: दिनांक: 05/08/2021

समाचार्य द्वारा:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मवीर काठकविला अजय इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संघित रूप से 2021-22 हेतु हिन्दोस सार्वीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रविधिक शिक्षा परिषद, द्वार प्रदेश सभ्यता से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 05/08/2021 को परिषद सभ्यता में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्राप्त की संश्लेषित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करना प्रयोग सम्पन्न कृत्रिम अन्ध नदी का विस्तार करने हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रविधिक शिक्षा परिषद, द्वार प्रदेश सभ्यता द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्मोदित करने के अर्थ परस्मया एवम् उचित प्रयोग प्रदान हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पता एवं नाम : 1170-JASWANT SINGH BHADOURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VILL. & POST-KOSHIRHURA, BLOCK SOVANDHAR, MATHURA

ए.एस.सी.टी.टी.ई.पी.सी.आई. द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रयोग हेतु अनुमोदित प्रयोग

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अ.सं.	अ.सं.
1	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING MECHANICAL	120	120
3	ENGINEERING (AUTOMOBILE) MECHANICAL	120	120
4	ENGINEERING (PRODUCTION) MECHANICAL	120	120
5	ENGINEERING (MAINTENANCE)	60	60
6	CHEMICAL ENGINEERING (PETRO CHEMICAL)	60	60
7	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
8	P.G.DIPLOMA IN ADVERTISING AND PUBLIC RELATION	60	60
9	P.G.DIPLOMA IN BIO TECHNOLOGY (TISSUE CULTURE)	60	60

	कुल	वर्ग
10 PG DIPLOMA IN TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT ✓	50	60
11 PG DIPLOMA IN TEXTILE DESIGN	60	50
12 INDUSTRIAL SAFETY	60	50
13 PG DIPLOMA IN MARKETING AND SALES MANAGEMENT	50	60
14 PG DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE ✓	60	60
15 PG DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY ✓	50	60
16 PG DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE & NETWORKING ✓	60	50
17 DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION	50	60

सम्बन्धित हेतु हैं।

- ✓ सभी 60आईआईटीआईसीआईआरआई का निवेश वी एच सी चर्च का पूर्णतः मुक्त करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, सेक्टर विनियमावली-2008 तथा अन्य निर्मित विधान एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्देशन समिति द्वारा निर्दिष्ट शुल्क तीन वर्षीय इतिहास परीक्षाओं हेतु ₹10,00,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यकारी पाठ्यक्रम हेतु ₹10,40,00,00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वर्षीय परीक्षाओं हेतु ₹10,00,00,00/- प्रतिवर्ष का निवेश करेगी। इनके अतिरिक्त प्रत्येक वर्षीय परीक्षा हेतु ₹10,20,00,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही मूल्य अनुमान है प्रेष किया जाएगा। कार्यक्रम के अतिरिक्त अनुमानों में से शुल्क के ह्रास में समय-समय पर आरक्षण द्वारा निर्मित बचत वाले वर्षीय कार्यक्रम प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। तीन वर्षीय कार्यकारी परीक्षा हेतु वी एच सी 2021-22 का सत्र का पूर्णतः मुक्त किया जाता है, जो फीस की योजना से लागू होगी।
- ✓ संस्था को 60आईआईटीआईसीआईआरआई के अतिरिक्त संस्थाओं को समर्थन दिया जाएगा विनियमावली-2008 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शर्तों के मुताबिक वह अपने ही स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश को कार्यवाही करेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित आरक्षणों के अनुसूचित निरीक्षण एवं सम्बन्धित शुल्क उभार करना होगा।
- ✓ संस्था को 60आईआईटीआईसीआईआरआई से आगामी वर्ष हेतु अनुसूचित पाठ्यक्रम दिया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विनियमों/अधिनियमों/आरक्षणों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, गुणवत्ता, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बंधन होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्मिक पाठ्यक्रम को संस्था परिषद वी.सी.आई. आई डिप्लोमा से अनुमोदन प्राप्त करने में आसानी करेगी। जो इस संस्था में संस्था द्वारा निर्मित संस्था का होगा और विदेशी रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा कार्यवाही होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है इस कारण वह के संस्था में ग. कार्यवाही द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो संस्था प्रत्येक वर्षीय कार्यक्रम को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्मिक पाठ्यक्रम स्थापित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रदेश

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1170-JASWANT SINGH BHADAURIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	120	120
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
5	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)	60	60
6	CHEMICAL ENGINEERING (PETRO CHEMICAL)	60	60
7	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
8	P.G.DIPLOMA IN ADVERTISING AND PUBLIC RELATION	60	60
9	P.G.DIPLOMA IN BIO TECHNOLOGY (TISSUE CULTURE)	60	60
10	P.G.DIPLOMA IN TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT	60	60

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
11	P.G.DIPLOMA IN TEXTILE DESIGN	60	60
12	INDUSTRIAL SAFETY	60	60
13	P.G.DIPLOMA IN MARKETING AND SALES MANAGEMENT	60	60
14	P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	60	60
15	P.G.DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY	60	60
16	P G DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE & NETWORKING	60	60
17	DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आर0 खान)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, JASWANT SINGH BHADAURIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY



(एफ0आर0 खान)

सचिव